



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL Government of Uttarakhand

e-Stamp



Certificate No.	: IN-UK09702884717407T
Certificate Issued Date	: 27-Jan-2021 12:36 PM
Account Reference	: NONACC (SV)/ uk1219904/ MUSSORIE/ UK-DH
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UKUK121990422869761448174T
Purchased by	: MAHESHWARI
Description of Document	: Article Miscellaneous
Property Description	: NA
Consideration Price (Rs.)	: 0 (Zero)
First Party	: HOP BUILDERS AND DEVELOPERS PVT LTD
Second Party	: MAHESHWARI
Stamp Duty Paid By	: MAHESHWARI
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 100 (One Hundred only)



उमा गुप्ता
स्टाम्प डिपार्टमेंट लाव-7
कोर्ट कम्पाउंड, मयसुरी

.....Please write or type below this line.....

~ Kishor Kumar

महेश्वरी देवी

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at www.shikharstamp.com or using e-Stamp Mobile App of Shikhar Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of this certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

21 को स्थान मसूरी में मै० होप बि
को आर० एन० जैन, निवासी-106
पक्ष

एवम्

जैसे कि विक्रेता प्रथम पक्ष सम्पत्ति/भूखण्ड जिसका कुल क्षेत्रफल 180 गज अथवा 1440 वर्ग फुट अथवा 133.78 वर्ग मीटर है, का स्वामी है, विक्रेता के पास स्वामित्व से संबंधित सभी दैनिक कागजात उपलब्ध हैं जो कि मेरीविल इस्टेट, बालगंज, मसूरी, जिला, देहरादून में स्थित है। क्रेता द्वितीय पक्ष ने विक्रेता प्रथम पक्ष की उपरोक्त भूखण्ड को रु० 11,000/- प्रति गज की दर से रु० 17,60,000/- (रुपये सत्रह लाख साठ हजार मात्र) में बेचने का आग्रह किया है एवं विक्रेता प्रथम पक्ष एवं क्रेता द्वितीय पक्ष उक्त भूखण्ड को रु० 17,60,000/- (रुपये सत्रह लाख साठ हजार मात्र) में कय-विकय करने को सहमत हुए हैं जिसकी निम्नलिखित शर्तें तय पाई गई हैं जो कि दोनों पक्षों पर समान रूप से लागू होंगी :-

शर्त :-

- शर्तें :-
- 1- यह कि उक्त विक्रय अनुबन्ध के अनुपालन में कंता द्वितीय पक्ष ने विक्रेता प्रथम पक्ष को रु० 5,50,000/- (रुपये पाँच लाख पचास हजार मात्र) का का भुगतान निम्न प्रकार से किया है-
 - (अ) रु० 1,00,000/- दिनांक 24-01-2021 को नगद भुगतान किये हैं।
 - (ब) रु० 50,000/- चेक सं० 554223 दिनांक 24-01-2021 बैंक ऑफ बड़ौदा, मसूरी के द्वारा भुगतान किये हैं। जिनकी प्राप्ति विक्रेता प्रथम पक्ष स्वीकार करता है।
 - (स) रु० 4,00,000/- माह मार्च 2021 में द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को अदा करेगा।

2- यह कि शेष विक्रय मूल्य रु० 12,10,000/- विक्रय-पत्र के निष्पादन के समय द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को अदा किया जायेगा।

3- यह कि विकीत सम्पत्ति का विक्रय-पत्र केता द्वितीय पक्ष अपने नाम या अपने नामित व्यक्ति के नाम माह जून 2021 तक शेष धनराशि अदा करके निष्पादित करेगा। जिस पर प्रथम पक्ष एवं उसके वारिसानों को कोई आपत्ति नहीं होगी। 30 (जून) 2021 तक

महेश्वरी देवी

✓ Killed them

4- यह कि अनुबंधित सम्पत्ति के स्वामित्व से संबंधित सभी प्रकार की जिम्मेदारी विक्रेता प्रथम पक्ष की होगी।

5- यह कि विक्रीत सम्पत्ति में आने-जाने हेतु 4 फुट का संयुक्त मार्ग विक्रेता अपनी सम्पत्ति में से देगा जो कि श्री प्रदीप अग्रवाल की सम्पत्ति से लगी हुई है। रास्ते का निर्माण का खर्चा द्वितीय पक्ष का स्वयं का होगा।

6- यह कि सीवर लाइन के लिये प्रथम पक्ष द्वारा अपनी सम्पत्ति में से एक फुट भूखण्ड सीवर लाइन से जोड़ने के लिये दी जा रही है जिसके एवज में द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को ₹ 60,000/- अलग से अदा करेगा। द्वितीय पक्ष द्वारा एक फुट सीवर लाइन की जगह का प्रयोग यदि अन्य लोगों से भी किया जाता है तो द्वितीय पक्ष उसके एवज में जो भी भुगतान लेना चाहे वह अन्य लोगों से ले सकता है प्रथम पक्ष का उस पर किसी प्रकार का लेन-देन नहीं होगा। ना ही कोई आपत्ति होगी। सीवर लाइन संबंधी निर्माण भी द्वितीय पक्ष द्वारा स्वयं के खर्च पर कराया जायेगा।

7- यह कि क्रेता द्वितीय पक्ष शेष विक्रय मूल्य ₹ 12,10,000/- का भुगतान जून 2021 तक विक्रेता प्रथम पक्ष को अदा करके सम्पत्ति का विक्रय-पत्र अपने नाम या अपने नामित व्यक्ति के नाम करा लेगी। यदि क्रेता द्वितीय पक्ष शेष विक्रय मूल्य ₹ 12,10,000/- देने में असमर्थ रहता है तो उसके द्वारा दी गई अग्रिम धनराशि जब्त हो जायेगी, और यदि विक्रेता प्रथम पक्ष आज दिनांक 24-01-2021 के बाद विक्रीत सम्पत्ति/भूखण्ड को नहीं बेचता है या सम्पत्ति/भूखण्ड को बेचने से इन्कार करता है अथवा बकाया धनराशि ₹ 12,10,000/- (रुपये बारह लाख दस हजार) लेने से इन्कार करता है तो वह क्रेता द्वितीय पक्ष के द्वारा दी गई अग्रिम धनराशि का दुगुना क्रेता द्वितीय पक्ष को अदा करेगा।

विवरण सम्पत्ति

वह समस्त सम्पत्ति भूखण्ड जिसका कुल क्षेत्रफल (लगभग 25X60) 160 गज अथवा 1440 वर्ग फुट अथवा 133.78 वर्ग मीटर है जो कि मेरीविल इस्टेट, बालागंज, मसूरी, जिला, देहरादून में स्थित है।
जिसके :-

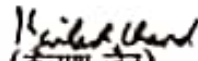
पूरब में	:	सम्पत्ति श्री मनोज कुमार एवं श्री जियानन्द भट्ट नाप लगभग 60 फुट
पश्चिम में	:	विक्रेता की सम्पत्ति नाप लगभग 60 फुट
उत्तर में	:	विक्रेता की सम्पत्ति नाप लगभग 25 फुट व 4 फुट मार्ग
दक्षिण में	:	विक्रेता की सम्पत्ति नाप लगभग 25 फुट

मोहरी देवी

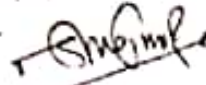
~ Kishor K

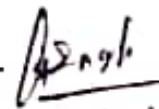
अतः यह विक्रय अनुबन्ध-पत्र दोनों पक्षों ने स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के उपरोक्त वर्णित तिथि, माह एवं वर्ष को निम्न लिखित गवाहानों के समक्ष अंकित, हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया है ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे ।

प्रथम पक्ष


(कैलाश जैन)

गवाहान:-

1- 
Manoj Kumar

2- 
Rajendra Singh

द्वितीय पक्ष

(महेश्वरी)

महेश्वरी देवी

Attested

R.M. DAVAL
Notary Public
MUSKANOKE, INDIA